REC को महारत्न का दर्जा

हाल ही में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) को 'महारत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSE) का दर्जा दिया गया है।

REC और महारत्न:

- **REC का परिचय:**
  - REC एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है, जिसे वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था, जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।
  - यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
  - इसे निम्नलिखित के रूप में भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के लिये एक नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है:
    - प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)
    - दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)
    - राष्ट्रीय विद्युत कोष (NEF)
  - उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की निगरानी में REC विद्युत मंत्रालय की भी सहायता करती है।
  - **REC को महारत्न का दर्जा मिलने के लाभ:**
    - 'महारत्न' CPSE का बोर्ड **वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को शुरू करने के लिये इक्विटी निवेश कर** सकता है एवं भारत और विदेशों में विलय और अधिग्रहण कर सकता है, जो संबंधित CPSE के कुल मूल्य के 15% की सीमा तक सीमित है। **यह राशि एक प्रोजेक्ट के लिये ₹5,000 करोड़ रुपए है।**
    - बोर्ड कर्मियों और मानव संसाधन प्रबंधन तथा प्रशिक्षण से संबंधित **योजनाओं का संरचना कार्य तथा कार्यान्वयन** भी कर सकता है।
    - REC अब प्रौद्योगिकी **संयुक्त उद्यम** या अन्य रणनीतिक गठबंधनों में भी प्रवेश कर सकता है।
- **महारत्न' का दर्जा:**
  - 'महारत्न' व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्यमों को वैश्विक दिग्गज बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
    - 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों' **(CPSEs) का आशय उन कंपनियों से है, जिनमें केंद्र सरकार या अन्य CPSE की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51%** या उससे अधिक होती है।
  - 'महारत्न' का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते तीन वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है अथवा बीते तीन वर्षों के लिये उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए था या फिर बीते तीन वर्षों के लिये उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए है।
  - 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों' के लिये भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने हेतु 'नवरत्न' का दर्जा प्राप्त करना अनिवार्य है।
  - सरकार ने CPSEs को **महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा** देने के लिये मानदंड निर्धारित किये हैं।

CPSEs का वर्गीकरण

श्रेणी	शुरुआत	मानदंड	उदाहरण
महारत्न	CPSEs के लिये **महारत्न योजना** मई 2010 में शुरू की गई थी, ताकि **मेगा CPSEs को अपने संचालन का विस्तार करने और वैश्विक दिग्गजों के रूप में उभरने के लिये सशक्त बनाया जा सके।**	▪ कंपनियों को **नवरत्न का दर्जा** प्राप्त होना चाहिये। ▪ कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Security Exchange Board of India- SEBI) के नियामकों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी (Minimum Prescribed Public Shareholding) के साथ भारतीय शेयर बाज़ार	▪ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, आदि।

		में सूचीबद्ध होना चाहिये। ▪ विगत तीन वर्षों की अवधि में **औसत वार्षिक व्यवसाय (Average Annual Turnover) 25,000 करोड़ रुपए से अधिक** होना चाहिये। ▪ पिछले तीन वर्षों में **औसत वार्षिक नविल मूल्य (Average Annual Net Worth) 15,000 करोड़ रुपए से अधिक** होना चाहिये। ▪ पिछले तीन वर्षों का औसत **वार्षिक शुद्ध लाभ (Average Annual Net Profit) 5,000 करोड़ रुपए से अधिक** होना चाहिये। ▪ कंपनियों की व्यापार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में महत्त्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिये।	
नवरत्न	▪ **नवरत्न योजना वर्ष 1997** में शुरू की गई थी ताकि उन CPSEs की पहचान की जा सके जो अपने संबंधित क्षेत्रों में तुलनात्मक लाभ प्राप्त करते हैं और **वैश्विक अभिकर्त्ता बनने के उनके अभियान में उनका समर्थन** करते हैं।	▪ **मिनीरत्न श्रेणी - I और अनुसूची 'A' के तहत आने वाली CPSEs,** जिन्होंने पिछले पाँच वर्षों में से तीन में समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छी' रेटिंग प्राप्त की है और छह प्रदर्शन मापदंडों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर प्राप्त किया हो। ये छह मापदंड हैं: ◦ शुद्ध पूंजी और शुद्ध लाभ ◦ उत्पादन की कुल लागत के सापेक्ष मैनपॉवर पर आने वाली कुल लागत ◦ मूल्यह्रास के पहले कंपनी का लाभ, वर्किंग कैपिटल पर लगा टैक्स और ब्याज ◦ ब्याज भुगतान से पहले लाभ और कुल बिक्री पर लगा कर ◦ प्रति शेयर कमाई ◦ अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन	▪ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, आदि।
मिनीरत्न	▪ **मिनीरत्न योजना की शुरुआत वर्ष 1997** में **सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक कुशल एवं प्रतिस्पर्द्धी बनाने** और लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रदान करने के नीतिगत उद्देश्य के अनुसरण में की गई थी।	▪ **मिनीरत्न श्रेणी-1:** मिनीरत्न कंपनी श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि **कंपनी ने पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया** हो तथा तीन साल में	**श्रेणी-1**: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आदि। **श्रेणी-2**: भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO), भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स

		एक बार कम से कम 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जति कयिा हो। ▪ **मनिीरत्न श्रेणी- 2 :** CPSE द्वारा **पछिले तीन साल से लगातार लाभ अर्जति कयिा हो** और उसकी नविल संपत्तति सकारात्मक हो, वे मनिीरत्न- II का दर्जा पाने के लयि पात्र हैं।	लमिटिड (BPCL), आदि।

सत्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/maharatna-status-to-rec